

## पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप प्रारंभ अकबर—नौशे खान को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

रत्नाम 21 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम की वर्कशॉप को पलसोड़ा में नगर निगम भूमि पर निर्मित की गई नवीन वर्कशॉप को 23 अगस्त सोमवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में प्रारंभ किया गया ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने पलसोड़ा में निर्मित की गई नवीन वर्कशॉप के निरीक्षण के दौरान वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था करवाई गई साथ ही कर्मचारियों हेतु तैयार किये गये कार्यालय कक्षों में भी प्रकाश व्यवस्था करवाई । इसके अलावा वाहनों को खड़ा करने हेतु भूमि का समतलीकरण करवाया जाकर वर्कशॉप को प्रारंभ करवाया गया ।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम की वर्कशॉप को पलसोड़ा में निर्मित की गई नवीन वर्कशॉप में शिफ्ट किया जाकर 23 अगस्त सोमवार से वर्कशॉप को प्रारंभ किया गया है । जिसके तहत निगम के समस्त कचरा संग्रहण वाहन, डम्पर, ट्रेक्टर आदि वाहनों को नवीन वर्कशॉप में पंहूचाया जाकर निर्धारित स्थलों पर खड़ा किया गया है । उन्होंने बताया कि वर्कशॉप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु बाउण्ड्रीवॉल निर्मित किया गया है । साथ वर्कशॉप को हरियाली से आच्छादित किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है ।

नगर निगम की वर्कशॉप पलसोड़ा में शिफ्ट होने पर स्थायीकर्मी अकबर नौशे खान की ड्यूटी दोपहर 2 से रात्री 10 बजे तक के लिये लगाई गई थी निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कार्य से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया ।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे ।

### कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में नहीं पाये जाने पर 4 का वेतन काटा

रत्नाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किये जाने के बाद भी 4 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में नहीं पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया ।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान तौशी—मोहम्मद हुसैन झायवर, संदीप—सुरेश हैल्पर, विजय खरे, कमल शिन्दे वार्ड प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस में नहीं पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण चाहा है ।

शासन द्वारा नगर निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार ड्रेस कोड निर्धारित किया है, श्रेणीवार ड्रेस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

### पशु वाहन के 4 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना—पत्र

रत्नाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर आवारा पशु विचरण करते पाये जाने व पशुवाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा आवारा पशुओं को कहीं भी पकड़ते हुए नहीं पाये जाने पर नियुक्त 4 कर्मचारियों

का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओं सूचना—पत्र जारी किया गया।

पशु वाहन के कर्मचारी चरणसिंह—भारतसिंह, मेहफुज—कालेखां, रामा व पूनमचन्द्र—रतन द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया।

## **वार्ड 49 के तीन सफाई संरक्षकों का वेतन काटा**

रतलाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 49 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान तीन सफाई संरक्षकों द्वारा कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने व उनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत गंदगी व कचरे के ढेर पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर निलंबित/बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्ड 49 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान श्रीमती सुमित्राबाई—भागीरथ, श्रीमती इन्द्राबाई—इन्द्र व श्रीमती सविता बाई—शिव द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाई गई व इनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत गंदगी व कचरे के ढेर पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर निलंबित/बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

## **शैलेन्द्र मेहना को वार्ड 49 के प्रभारी के पद से हटाया**

रतलाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 49 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान जगह—जगह गंदगी के ढेर, नालियां गंदगी से भरी हुई एवं कचरा यहां वहां फैला हुआ पाये जाने व वार्ड प्रभारी शैलेन्द्र मेहना द्वारा कर्तव्य स्थल पर बिना यूनिफार्म के उपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया साथ ही शैलेन्द्र मेहना को वार्ड प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर वार्ड क्रमांक 07 में मूल पद गैंग सफाई संरक्षक के कार्य हेतु पदस्थ किया गया।

## **लोक निर्माण व स्थान्त्रिय विभाग के दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण**

रतलाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा कार्यव्यवस्था एवं प्रशासकीय दृष्टि से लोक निर्माण विभाग के समयपाल श्री रतन सिंह को स्वास्थ्य विभाग (स्थापना) व स्वास्थ्य विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री मनोज टांक को लोक निर्माण विभाग (मेन्टेनेन्स शाखा) में पदस्थ किया।

## **नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन**

### **23 अगस्त को 84 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा**

रतलाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर—घर से पृथक—पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले—सूखे कचरे व सड़कों व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 23 अगस्त सोमवार को 84 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

23 अगस्त सोमवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 39850, काम्पेक्टर सूखा कचरा 26885, काम्पेक्टर गीला 16305, मैजिक 1880 किलो इस तरह कुल 84920 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

**खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना  
गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें**

**रतलाम 23 अगस्त ।** कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 अगस्त को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी व झोन प्रभारी द्वारा खुले में गंदगी करने पर प्रीति कंगन स्टोर न्यू रोड पर 500, बालाजी टी स्टॉल पावर हाउस रोड, जेएमडी स्टील अलकापुरी पर 250—250 व रामूबाई पोलोग्राउण्ड पर 120 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री विनय चौहान द्वारा की गई।

## **सोमवार को 8 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेगें आयुष्मान कार्ड नगर निगम द्वारा अब तक 7158 आयुष्मान कार्ड बनाये गये**

**रतलाम 23 अगस्त।** कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

आज 24 अगस्त मंगलवार को जनता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगर, सीनियर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजार, पुजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगर, मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोड, रेलवे कन्स्यूमर सोसाईटी रेलवे कालोनी, सागर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार रिटायर्ड कालोनी, श्रीकृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सखवाल नगर व शांतिनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार ओझाखाली में में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा अब तक 7158 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

## **निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें**

**रतलाम 23 अगस्त।** शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्दे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिष्ठत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिष्ठत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा व्याज, स्टॉप डियूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

## 12484 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रत्नाम 23 अगस्त । रत्नाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 23 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1284 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 23 अगस्त को टाटा नगर गली नम्बर 1, राम मंदिर, अलकापुरी, काटजू नगर, दर्शन टॉकिज, वेद व्यास कालोनी, शहर सराय आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो के मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

## नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

रतलाम 23 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कर 8 आश्रय स्थलों की स्थापना की है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपर्यंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घन्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भट्नागर मो0नं0 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो0 नं0 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो0 नं0 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त किया गया है। आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपर्यंत्री श्री विकास मरकाम उपर्यंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

## **नगर निगम के पेंशनरों को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र**

रतलाम 23 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

## **पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 23 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

## **नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

**रतलाम 23 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।**

**गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 23 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।**

**प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।**

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 23 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 23.08.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.**